

प्रेषक,

अशोक कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उद्योगशासन।

रीवा में,

निदेशक,  
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,  
उद्योग लखनऊ।  
खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2



लखनऊ दिनांक 30/12/2010

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 में उत्पाद विकास मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय योजना(आयोजनागत) में प्राविधानित धनराशि की अवशेष स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक खादी बोर्ड के पत्रांक 316/खा0प्रगो/2010-11 दिनांक 06.09.2010 के सन्दर्भ में भुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राजबहाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय हेतु संलग्न विवरण के अनुसार रु० 15,00,000.00 (एक पन्च लाख मात्र) की धनराशि में से अवशेष छः माह के दिने पचास प्रतिशत की धनराशि रु० 7,50,000.00 (सात लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के निवर्तन पर रखने की सहमति सहर्ष प्रदान करते हैं।

- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय प्राप संख्या- बी-1-951/दस-2010-231/2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 एवं शासकीय व्यव में कितल्यदिता करते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एवं के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, उद्योग इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यव की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्राप बी0प्रगो-13 में वित्त (व्यय निगंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध कराया जाये।
- उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उद्योग इलाहाबाद या उनके मनोनीत किस्ती अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट ऑडिट के लिये भी उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कन्ट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल या उनके द्वारा मनोनीत किस्ती अन्य अधिकारी द्वारा ऑडिट के लिये भी उपलब्ध रहेगा।
- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 के आस व्ययक की अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2851 ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-105-खादी ग्रामोद्योग-25-उत्पाद विकास मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय-42-अन्य व्यय" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामे ज्ञात जायेगा।
- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को समय-समय पर प्रतिनिधानित आदेशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अशोक कुमार)  
प्रमुख सचिव

संख्या (1)/59-2-2010-16(सा)/2009 तद्दिनांकित।  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम, द्वितीय, 3090 इलाहाबाद,
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदार)प्रथम, द्वितीय, 3090 इलाहाबाद,
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
4. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/ वित्त (आय व्यय) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/ औद्योगिक विकास अनुभाग-3
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 3090 126 जवाहर भवन, लखनऊ,
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 3090 खादी तथा सामोद्योग बोर्ड, लखनऊ,
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 3090 इलाहाबाद,
8. मार्ट फाइल
9. (1) 30 (3) 7 8 0 (2) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

आज्ञा से,

(आराडीकल्याण)  
अनु सचिव

संख्या

(1)/59-2-2010-16(ख)/2009 तदुद्दिष्ट।

2010 का संलग्नक।

उत्पाद विकास मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय योजना की बजट फांट

क्र.सं.	भद विवरण	अनुमानित व्यय(लाख रु० में)
01.	उत्पाद विकास मानकीकरण जागरूकता शिविर एवं गुणवत्ता नियंत्रण में टेक्निकल ट्रेनिंग	3.50
02.	परीक्षण/ मानकीकरण	4.00
	योग	7.50

(रुपये सात लाख पचास हजार मात्र)

  
(आर०डी०कल्याण)  
अनु सचिव